न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०– एम०–165/17

धारा–107 द०प्र०सं०

लालदेव बांस महली वगैरह.....प्रथम पक्ष

बनाम

रामकिष्टो महली वगैरह .....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
09 /02 /2019	प्रस्तुत वाद तमाड़ थाना के अप्राथमिकी संख्या–54/17 दिनांक–19/11/2017 द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह वाद भूमि पर दावेदारी को लेकर आपसी मनमुटाव से उत्पन्न विवाद को लेकर शुरू हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदन दिया है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य झगड़ालू, दंबग शराबी एवं उदण्ड प्रवृत्ति के लोग है। प्रथम पक्ष को उपरोक्त सम्पत्ति पूर्वजों से बँटवारे में मिली है, इसके बावजूद दूसरे पक्ष के सदस्य प्रथम पक्ष के जमीन को हड़पने के प्रयास से लगातार झगड़ा करते है। द्वितीय पक्ष अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदन दिया है कि प्रथम पक्ष के लोग धनी एवं दबंग प्रवृत्ति व्यक्ति है। प्रथम पक्ष उक्त जमीन के लिए केस किए है। सभी विवादी सम्पत्ति विपक्षीगणों का दखल एवं हक अधिकार का है। प्रथम पक्ष के पूर्वज सहदेव बांस महली, पिता–गुरवा बांस महली है। रूपा बांस महली पिता–गुरवा बांस महली को अपने हिस्से की जमीन निंबंधित पट्टा के द्वारा दिनांक–18/04/1944 ई० को बिक्री कर दिया है। <u>प्रथम पक्ष पार्टी गवाहः</u>– श्री लालदेव बांस महली, पिता–स्व० करम बांस महली ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन पैतृक संयुक्त जमीन है। जमीन का बंटवारा मौखिक हुआ था। बंटवारा को द्वितीय पक्ष के लोग नहीं मान रहे है। स्थायी हल निकालने के लिए पार्टीसनसूट केस मैनें सिविल कोर्ट में किया हूँ, जिसका केस संख्या–25/2017 है, जो अभी विचाराधीन है। विवदित जमीन में द्वितीय पक्ष अपने हिस्से में दखल कब्जा मे हैं और मैं अपने जमीन पर दखल कब्ज़ा में हूँ। <u>द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाहः</u>– श्री हरत महली, पिता–स्व० जीतवाहन महली ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया हैं कि द्वितीय पक्ष के लोग प्रथम पक्ष के लोग को कभी धमकी नहीं दिए है। सहदेव बांस महली बिक्री किया है। रूपा महली खरीदा है। सन् 1944 ई० को 18 अप्रैल को रजिस्ट्री पट्टा से लिया है। उसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं मैं नहीं जानता। उभय पक्ष एक ही खूँट का है, उभय पक्ष के बीच मौखिक बँटवारा हुआ था। विवादित जमीन पर दोनों पक्ष को नहीं जाना होगा नहीं तो झगड़ा होगा। <u>द्वितीय पक्ष पार्टी गवाहः</u>– श्री लक्ष्मण महली, पिता–श्री हरि महली ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जिस जमीन में केस किया है, लोण्डरा मौजा में है। थाना–तमाड़, खाता संख्या–26, प्लॉट संख्या–454, रकबा–2.32 एकड़ है। खाता सं–23 प्लॉट संख्या–520, रकबा–1.06 एकड़ तथा खाता सं–25 प्लॉट संख्या–819, रकबा–5.81 एकड़ है। प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन को खरीदगी के आधार पर दावा करते है। उपरोक्त जितना भी जमीन बताए है। इस पर हम ही लोग का दखल कब्जा है। खेती–बारी हमलोग करते है। हमलोग कभी लालदेव बांस महली को धमकी नहीं दिए है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष जबरजस्ती अगर जाएगा तो झगड़ा होगा। 09/02/19

तिथि	आदेश

वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा, गवाहो की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि विवाद भैयादी भूमि पर परस्पर दावे को लेकर उत्पन्न हुआ है। मामला सक्षम न्यायालय में है। वर्त्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे।

वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

07/02/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

07/02/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 13:50:52 +05:30
Location: 192.168.43.107